कन्हैयालाल v/s गौरी देवी व अन्य

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से 2022 / 526
	3/4/24	[illegible] साहब [illegible] को पेश हो। 17/5/24
	17/5/24	पत्रावली पेश हुई। [illegible] साहब अन्य राज्य कार्य [illegible] पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 7/6/24 को पेश हो।
	7/6/2024	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं वकील अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 बावजूद नोटिस अनुपस्थित रहे। अतः विपक्ष जयपुरीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील प्रार्थी को बहस I I सुनी गई। बहस वकील प्रार्थी व पत्रावली का इमदस्तावेजात अवलोकन करने पर मुख्य वाद के निस्तारण तक उभयपक्ष को जरिये आज्ञा निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाद ग्राम सिरोही तहसील सोजागढ़ स्थित खसरा नं. 1770, 1776, 1882, 1895, 1909, 1920, 1921, 1922, 1933, 1935, 1939, 1940, 1956, 1957 के [illegible] मौके की [illegible] पत्रावली पेश हो। इस आदेश निर्णय से कम से कम [illegible] हासिल हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 14:37:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)